



2026:AHC:51843-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 4693/2026

अंगूरी

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता

: कपिल कुमार, नितिका शर्मा

प्रतिवादि(यों) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
2. प्रारंभ में ही, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा यह इंगित किया गया कि वर्तमान प्रकरण में विवेचना पूर्ण हो चुकी है तथा अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप-पत्र भी प्रेषित किया जा चुका है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता उपर्युक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके तथा यह कथन करते हैं कि वह इस रिट याचिका पर बल नहीं देना चाहते हैं और इसे वापस लेना चाहते हैं।
4. उक्त कथन के दृष्टिगत, इस रिट याचिका को वापस लिए जाने के आधार पर निरस्त निरस्त किया जाता है।

13 मार्च, 2026

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)